न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0–M–72/16 धारा–145 द0प्र0सं0 श्रीकांत महतो वगैरह
बनाम
रंजीत महतो वगैरह

	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
8.11.2016	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी सोनाहातु के पत्रांक सं0–921/16 दिनांक 03.11.2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव है ,फलस्वरूप शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है।	

जमीन का विवरण

मौजा– सेरेंगहातु थाना– सोनाहातु

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
101	1441	1.73	उ0–रास्ता
		मध्ये	द0–विनोद मुण्डा
		86 डी०	पू0–सृष्टि महतो
			प0–करम सिंह मुण्डा
	1443	2.06	उ०– विनोद मुण्डा
		मध्ये	द०–लखन मुण्डा
		1.03 ए०	पू०–धासू मुण्डा
			प०–जादुलाल पाहन

अतः मैं आकांक्षा रंजन , अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू ,राँची थाना प्रभारी सोनाहातु के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष मे विवादी जमीन में दखल कब्जा को लेकर विवाद है। उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए विवादित भूमि पर द0 प्र0 सं0 की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करती हूँ। उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–22/11/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 8/11/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,
बुण्डू।

(हस्ताक्षर) 8/11/16
अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,
बुण्डू।

22-11-16 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्रीकांत महतो उपस्थित। नोटिस तामिला प्राप्त। दिनांक 15/12/2016 को रखें।

(हस्ताक्षर)
अ०प०द०

1

	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
19.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष आना-जाना छोड़ दिये हैं न ही संपर्क में है। वाद की कार्यवाही को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। वाद में प्रथम पक्ष लगातार अनुपस्थित है एवं दखल-कब्जा को लेकर किसी के स्तर से भी शांति भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही को जारी रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। 19/02 अनु० दण्डा० कुण्ड।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.04 15:22:14 +05:30
Location: 10.93.79.19